

निर्णय

(आज दिनांक 3.8.23 को उदघोषित)

1. आरोपी दिनेश को उक्तानुसार अपराध विवरण निर्मित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया।
2. आरोपी द्वारा की गई स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
3. आरोपी को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम में दोषी ठहराते हुए रुपये 2000/- अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया जाता है।
4. अर्थदंड की राशि अदा ना करने पर आरोपी को 7 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।
5. जफ़्तखूदा 20 लाख रुपये 21,21,000 अपील अवधि बाद नष्ट हो। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित।

स्थान - खरगोन

दिनांक - 03-08-23

03/08/23
अंजली पटेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खरगोन म.प्र.